

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 12-जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 1362/ 3(150) XXVII(1)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या: 19 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरणीय तालिका-4 एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार मानक मद संख्या-01, 03 एवं 06 की कुल धनराशि रू0 15309 हजार (रू0 एक करोड़ तिरेपन लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में अन्य शर्तें वही होंगी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-610 दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित हैं। अतः शासनादेश दिनांक 30.06.2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या: 05 के मुख्य लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए कि या जा रहा है।
3. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी.एम.-8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :- सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीया,
(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५० (1)/ XII(1) /18-82(05)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एन0पन्त)

उप सचिव।

↓